

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13/2/23	अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्ता पाकुड़ के पत्रांक 32/भू0सु0 दिनांक 17.01.2018 द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा-कालिकापुर के खाता सं0-117, दाग सं0-367 का राजस्व अभिलेख के आधार पर पुनः जांच कराई गई। संशोधित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि मौजा कालिकापुर के खाता सं0 117 दाग सं0-367 रैयती खाते की भूमि है। पूर्व में राजस्व उप-निरीक्षक द्वारा भूलवश दाग सं0-367 को अनावादी खाता सं0-163 की भूमि मानकर प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है। रैयती खाता की भूमि होने के कारण संदेहास्पद जमाबंदी अभिलेख सं0 84/2016-17 में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  अंचल अधिकारी, पाकुड़।	13/2/23.